CIRCULAR

Circular No.: PFRDA/2024/18/SUP-ASP/01 **Date: 24th October, 2024**

प्रति / To

सभी सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं और एनपीएस के अन्य हितधारकों को
All empanelled Annuity Service Providers and Other NPS Stake holders

विषय : एएसपी द्वारा एनपीएस अभिदाताओं को जारी वार्षिकी पॉलिसियों को निरस्त /अभ्यर्पित करने के लिए पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के विनियम 10(3) का अनुपालन

1. यह परिपत्र, पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत 22 जुलाई, 2021 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2021/30/एसयूपी-एएसपी/6को अधिक्रमित करके जारी किया गया है, जो *"एएसपी द्वारा एनपीएस अभिदाताओं को जारी वार्षिकी पॉलिसियों के अभ्यर्पण अनुरोधों का प्रबन्धन"* विषय पर आधारित है और यह इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के तहत प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) और अन्य पेंशन योजनाओं का उद्देश्य अभिदाताओं और उनके परिवारों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करना है। एनपीएस स्थापत्य के अनुसार, निर्दिष्ट आयु/सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के बाद नियमित आय वार्षिकी के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है और इस उद्देश्य के लिए, आईआरडीएआई विनियमित बीमा कंपनियों को वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के रूप में पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के तहत सूचीबद्ध किया गया है और एनपीएस के तहत जारी की जाने वाली वार्षिकी के लिए विशिष्ट शर्तें/प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

3. पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास और प्रत्याहरण) विनियमन, 2015 के विनियम 10(3) में उल्लिखित है :

"एक बार वार्षिकी क्रय कर लिए जाने पर रद्दीकरण और किसी अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता के साथ या किसी अन्य

Subject: Compliance with Regulation 10(3) of the PFRDA (Exits and Withdrawals under the NPS) Regulations, 2015 for cancellation/surrender of annuity policies issued to NPS Subscribers by ASPs

1. This circular is issued under Section 14 of the PFRDA Act 2013 in supersession of Circular No. PFRDA/2021/30/SUP-ASP/6 dated July 22, 2021 on *"Handling Surrender requests of Annuity Policies issued to NPS Subscribers by ASPs"* and shall be effective from the date of issuance of this circular.

2. The National Pension System (NPS) and other pension schemes regulated by the Authority under the PFRDA Act, 2013 aims to provide old age income security to the subscribers and their families at large. As per the architecture of NPS, the regular income after attaining the specified age/ superannuation is ensured through Annuities and for the purpose, IRDAI regulated Insurance companies are empaneled under PFRDA (Exits and Withdrawals under NPS) Regulations, 2015 as Annuity Service Providers (ASPs) and specific conditions / provisions for Annuities to be issued under NPS are stipulated thereunder.

3. Regulation 10(3) of the PFRDA (Exits and Withdrawals under the NPS) Regulations, 2015, states as under:

"Once an annuity is purchased, the option of cancellation and reinvestment with another

वार्षिकी स्कीम में पुनःविनिधान का विकल्प अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि वह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा विनिर्दिष्ट उपबंधित मुक्त नियत अवधि सीमा के भीतर वार्षिकी संविदा के निबंधनों में ऐसा उपबंधित न हो या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसा विनिर्दिष्ट रूप से उपलब्ध न हो।"

annuity service provider or in another annuity scheme shall not be allowed unless the same is within the time limit specified by the annuity service provider, for the free look period as provided in the terms of the annuity contract or as specifically provided by the Insurance Regulatory and Development Authority."

4. अधिनियम और विनियमों के उद्देश्य के अनुरूप तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनपीएस अभिदाता जो निकासी के बाद वार्षिकी क्रय करते हैं, उन्हें वार्षिकी अनुबंध की शर्तों के अनुसार वार्षिकी लाभ प्राप्त होते रहें, यह निर्णय लिया गया है कि अब से वार्षिकी के किसी भी अभ्यर्पण/निरस्तीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा या एएसपी द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि फ्री लुक पीरियड (मुक्त नियत अवधि) में वार्षिकीधारक के विकल्प पर वार्षिकी को निरस्त करने तथा उसे उसी एएसपी या किसी अन्य एएसपी के साथ उसकी पसंद के अनुसार दूसरी वार्षिकी जारी करने का प्रावधान किया गया हो। यदि वार्षिकीधारक नई एएसपी के साथ वार्षिकी क्रय करने का विकल्प चुनता है, तो ऐसी निरस्तीकरण राशि की आय को नई पॉलिसी जारी करने के लिए सीआरए को सूचित करने के साथ ट्रस्टी बैंक (अर्थात स्रोत खाता) के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

4. In line with the intent of the Act & Regulations and to ensure that NPS subscribers who purchase annuity after exit continue to receive annuity benefits as per the terms of the annuity contract, it has been decided that henceforth no surrender/cancellation of the annuity shall be entertained or permitted by the ASP save and except during free look period to provide for cancellation of annuity at the option of the annuitant and issuance of another annuity to him/her with the same ASP or with another ASP, as per his/her choice. In case of annuitant making choice for purchase of annuity with new ASP, the proceeds of such cancellation amount shall be transferred to the account of Trustee Bank (i.e. source account) only under intimation to the CRA, for issuance of a new policy.

परन्तु, जहां किसी अन्य वार्षिकी क्रय की आवश्यकता किसी कानूनी आवश्यकता या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी विशिष्ट कारण से समाप्त हो जाती है, तो इसे पीएफआरडीए द्वारा जारी किए जाने वाले परिचालन निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें ऐसे कारणों के लिए प्रावधान किया गया हो।

Provided that, where the requirement of purchase of another annuity is obviated due to any legal requirements or any specific cause as specified by the Authority, the same shall be carried out in accordance with the operational instructions to be issued by PFRDA which shall provide for such causes.

भवदीय / Yours sincerely,

अखिलेश कुमार / Akhilesh Kumar

(मुख्य महाप्रबंधक / Chief General Manager)